



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012024-251512
CG-DL-E-19012024-251512

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2024/पौष 29, 1945

No. 42]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2024/PAUSHA 29, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 48(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय प्रत्यायन शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड (क्यूसीआई-एनएबीईटी) द्वारा प्रदान की गई मान्यता के परिणामस्वरूप, खान मंत्रालय के तारीख 12 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या एम. VI-16/15/2021-खान VI (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त दिशानिर्देश कहा गया है) के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी मान्यता प्राप्त निजी गवेषण एजेंसियों की अधिसूचना के लिए दिशानिर्देशों में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित एजेंसियों को अधिसूचित करती है:

क्र.सं.	खोज अभिकरण	खोज अभिकरण के प्रवर्ग
1	मेसर्स जीईएमएस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	क
2	मेसर्स रामगड मिनरल्स एंड माइनिंग लिमिटेड	क
3	मेसर्स कुन्दन कॉन्सेंट्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड	क
4	मेसर्स पीआरबी इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	क

2. एजेंसियां उक्त दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वोक्त कार्य करेगी।
3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और यह अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या स्वीकृत प्रत्यायन के अवसान पर या समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi the 19th January, 2024

G.S.R. 48(E).— In exercise of the powers conferred under the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India (QCI-NABET), the Central Government hereby notifies the following agencies as specified in the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India in the Ministry of Mines vide order no. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021 (hereafter referred to as the said guidelines):

Serial Number	Exploration Agency	Category of Exploration Agency
1	M/s GEMS Project Pvt Ltd.	A
2	M/s Ramgad Minerals and Mining Limited	A
3	M/s Kundan Concentrates Private Limited	A
4	M/s PRB Infraprojects Private Limited	A

2. The agencies shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines.
3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of three years from the date of notification or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.